रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230132
CG-DL-E-04102021-230132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
No. 432] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. एन-10/10/2013-पीपीसी/पीबीआरबी.–प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (5) और धारा 11 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) हिंदी अधिकारी सेवा विनियम, 2002 और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ प्रशासनिक और संबद्ध पद) सेवा विनियम, 2002 अधिक्रमण में, जहां तक वे हिंदी अनुवादक के पद से संबंधित हैं, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या छोड़े गए कार्यों के सिवाय, निगम केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1) इन विनियमों का नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) राजभाषा पद भर्ती विनियम, 2021 होगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:** ये विनियम इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के आधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

7. **व्यावृत्ति-** इन विनियमों से इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**पे मैट्रिक्स में लेवल**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक निदेशक (राजभाषा)	60* (2021) आकाशवाणी- 48 दूरदर्शन- 12 * पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा **टिप्पणी :** प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत् सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।	समूह 'क' के समकक्ष	लेवल 10 (रू. 56100-177500)	चयन पद	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक व अन्य आवश्यक योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत होने की स्थिति में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, योग्य न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना
(11)	(12)
पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 (रुपये 35400-1124000) में आठ साल की नियमित सेवा के साथ हिंदी अनुवादक। **टिप्पणी 1-** एक विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को फीडर ग्रेड में दो श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा, यानी निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी और कर्मचारी, जैसा कि निगम द्वारा निर्णय लिया जाएगा। **टिप्पणी -:2**जहां पर कनिष्ठ जो अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं वहां उनके वरिष्ठ भी विचारणीय होंगे बशर्ते उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा कि आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो एवं जिन्होंने अगली ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनके कनिष्ठ जिनकी अर्हक पात्रता सेवा पूरी है के साथ परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों पर आसीन; अथवा	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) शामिल:- 1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती: अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन) दूरदर्शन-सदस्य; 3. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन) आकाशवाणी -सदस्य। **टिप्पणी**: यदि सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायी करने पर विचार करने के लिए) में शामिल 1. अपर महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), दूरदर्शन-अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), आकाशवाणी -सदस्य; 3. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन) दूरदर्शन-सदस्य

(ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (44900-142400 रुपये) में पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले:- 1. आवश्यक (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हो अथवा स्नातक स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो। अथवा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री; अथवा हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी के साथ अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री, और हिंदी के साथ अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, हिंदी और अंग्रेजी के साथ अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से या तो परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरे डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में; (ii) हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) का प्रयोग करने या लागू करने का तीन साल का अनुभव और अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य, वरीयत: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के तहत तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद; अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त शासी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिंदी या अंग्रेजी में हिंदी या अंग्रेजी में शिक्षण अथवा अनुसंधान का तीन साल का अनुभव। 2. वांछनीय: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर संविधान की	

आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में से एक का अध्ययन। **टिप्पणी 1-** फीडर श्रेणी में जो विभागीय अधिकारी पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। **टिप्पणी 2-** योग्यता के मामले में सक्षम अधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है यदि उम्मीदवार अन्य प्रकार से योग्य हो। **टिप्पणी 3-** इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व आयोजित किसी अन्य पूर्व संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 4-** प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हिंदी अनुवादक	133*(2021) आकाशवाणी -108 दूरदर्शन -25 * पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा **टिप्पणी:** प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों और निगमके अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' समकक्ष	लेवल 6 (रुपए) 35400- 112400)	लागू नहीं	30 साल (प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए पांच साल तक छूट) टिप्पणी: आयु सीमानिर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि प्रसार भारती भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)
हिंदी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में मास्टर डिग्री; अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अनिवार्य या वैकल्पिक	लागू नहीं	दो वर्ष

विषयक के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री; अथवा हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी के साथ अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी के साथ अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसीअन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, हिंदी और अंग्रेजी के साथ अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या दोनों में से किसी को परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरे को डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में; और हिंदी से अंग्रेजी में और विलोमत:अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद कार्य का भारतसरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: योग्यता के मामले में सक्षम अधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है यदि उम्मीदवार अन्य प्रकार से योग्य हो। टिप्पणी 2: अनुभव के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलता दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी चरण में,सक्षम प्राधिकारी की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।		

(10)	(11)	(12)
सीधी भर्ती टिप्पणी -पदधारी के लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या प्रतिनियुक्ति पर चले जानेया अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक कीअवधि के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जा सकते हैं:- (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर	लागू नहीं	विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल:- 1. अपर महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), दूरदर्शन-अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), आकाशवाणी – सदस्य; 3. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या

सदृश पदों पर आसीन होना; और (ख) कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव होना ।		(प्रशासन), दूरदर्शन-सदस्य

[विज्ञापन-III/4/असा./293/2021-22]

मुक्ता गोयल, अपर महानिदेशक

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. N-10/10/2013- PPC/PBRB. – In exercise of the powers conferred by section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Hindi Officer Service Regulations, 2002 and the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Administrative and Allied posts) Service Regulations, 2002, in so far as they relate to the post of Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Official Language Posts Recruitment Regulations, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. –** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

5. **Disqualification. -** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Power to relax. –** Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after consultation with the Recruitment

Board and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Director (Rajbhasha)	60* (2021) Akashvani- 48 Doordarshan- 12 *subject to variation dependent on the workload. **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'A' Equivalent.	Level 10 (Rs. 56100-177500).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age/ educational qualifications prescribed for direct recruits will Apply in the case of promotes.	Period of probation.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(11)	(12)
Promotion Hindi Translator with eight years of regular service in the grade in level 6 (Rupees 35400-1124000) in the pay matrix. **Note-1**: The vacancies arising in a particular year in each grade shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. **Note-2**: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation (including short term contract) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or autonomous organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 (Rupees 44900-142400) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- 1. Essential (i) Master's degree from a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Member (Personnel), Prasar Bharati: Chairperson; 2. Additional Director General (Human Resource) or (Administration), Doordarshan-Member; 3. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Akashvani - Member. **Note**: In case Member (Personnel), Prasar Bharati is not available, Chief Executive Officer, Prasar Bharati shall act as Chairperson of the Departmental Promotion Committee. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director General (Human Resource) or (Administration), Doordarshan-Chairperson; 2. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Akashvani – Member; 3. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Doordarshan –Member

medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; (ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or a State Government or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertaking or Universities or recognized research or educational institutions; or three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or a State Government or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertaking or Universities or recognized research or educational institutions. 2. Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th level from a recognized Board. **Note 1**.-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3**.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4**.-The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Hindi Translator	133*(2021) Akashvani-108 Doordarshan-25 *subject to variation dependent on work load. **Note**: The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'B' Equivalent.	Level 6 (Rs. 35400- 112400)	Not Applicable	30 years (Relaxable for employees of Prasar Bharati upto five years) **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Prasar Bharati Recruitment Board.

(7)	(8)	(9)
Master's degree from a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's Degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice	Not applicable	Two years

versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them		

(10)	(11)	(12)
Direct Recruitment **Note**.-Vacancies caused by the incumbent being away on deputation, for long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director General (Human Resource) or (Administration), Doordarshan-Chairman; 2. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Akashvani – Member; 3. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Doordarshan – Member

[ADVT.-III/4/Exty./293/2021-22]

MUKTA GOEL, Addl. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.04 13:55:17 +05'30'